

सहायक सप्लाइ अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

**जाकिर हुसैन**

वनान

सरकार

नम्बर मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 161 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
19/21	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी <b>जाकिर हुसैन पुत्र जीवन राई जाकिर अहम खाण नि० मोडावासी</b> तहसील राजगढ़ जिला चूरु नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 38 ख0नं0 230, 240, 255, 74, 75 कुल टाडागी 20.27 ई० रोही मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम <b>जाकिर व मुस्ताक</b> भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम <b>जाकिर हुसैन व अइकानाम मुस्ताक अली</b> दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 38 ख0नं0 230, 240, 255, 74, 75 कुल टाडागी 20.27 ई० रोही मोडावासी तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम <b>जाकिर व प्रार्थी के अई</b> के स्थान पर सही नाम <b>जाकिर हुसैन व अइकानाम मुस्ताक अली</b> का नाम मुस्ताक अली किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p> <p>मिसल फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

अ  
सहायक अधिकारी